



[2025:RJ-JP:45083]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14040/2025

Sonu Valmiki S/o Shri Suresh @ Raju Valmiki, Aged About 24 Years, R/o Near Chauth Mata Mandir, Patel Nagar Basti, Santoshi Nagar, P.s. Mahaveer Nagar, District Kota City (Raj.). (Accused At Present Confined in Central Jail, Kota City)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13632/2025

B S/o Babloo Kumar, R/o House No. 1098, Hariom Nagar, Mahaveer Nagar Kota City. (At Present Confined in District Jail Kota).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Samarth Sharma, Adv. Mr. Amit Dadhich, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

10/11/2025

प्रार्थीगण/अभियुक्त/किशोर की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह पृथक-पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना महावीर नगर, जिला कोटा



शहर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 597/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 307, 302 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्त/किशोर ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण/अभियुक्त/किशोर निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, परिवादी शक्ति पी.डब्ल्यू. 1 मृतक का सगा भाई है, उसने अपने बयानों में सहअभियुक्त विष्णु द्वारा उसके बांये हाथ की छोटी अंगुली पर छुरी से और पीछे कुल्हे पर भी छुरी से मारना बताया है। विष्णु द्वारा उसके दोस्त वैभव गौतम के भी मारना बताया है तथा उसके भाई के विष्णु द्वारा चाकू से मारना बताया है। मुख्य आरोपी विष्णु है, जिसका जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 15924/2024 दिनांक 13.02.2025 को माननीय न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, अन्य सहअभियुक्तगण चंदू साहरवान, विशाल कुमार व पप्पू के जमानत प्रार्थना पत्र भी समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं, प्रार्थीगण/अभियुक्त/किशोर का प्रकरण उनसे भिन्न नहीं है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्त/किशोर का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्त/किशोर के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जावें।

मैंने दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।



वर्तमान प्रकरण में परिवादी शक्ति ने न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में अपने बयानों में मुख्य अभियुक्त विष्णु को होना बताया है और विष्णु द्वारा ही चाकू से आहतगण के चोट कारित की गयी है, जिसका एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 15924/2024 आदेश दिनांक 13.02.2025 के माध्यम से समक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। इसी प्रकार अन्य सहअभियुक्तगण चंदू साहरवान व विशाल की ओर से प्रस्तुत एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या क्रमशः 2879/2025 व 6648/2025 समक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 23.06.2025 के द्वारा स्वीकार किये गये हैं, प्रार्थीगण/अभियुक्त/किशोर का प्रकरण उनसे भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त सोनू दिनांक 16.09.2025 से तथा प्रार्थी/किशोर दिनांक 29.01.2025 से अभिरक्षा में चल रहे हैं, दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्त/किशोर की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्त/किशोर को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सोनू वाल्मिकी पुत्र सुरेश उर्फ राजू वाल्मिकी** तथा प्रार्थी/किशोर **"B" पुत्र बबलू कुमार** की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य



[2025:RJ-JP:45083]

(4 of 4)

[CRLMB-14040/2025]

प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /178-179 (8)